

आयलय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

मि.न 107 / 2020

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक 9.7..2020

सरकार बनाम हनुमान वगै०
निर्णय


पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खड़ब ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम के पिचाणी तहसील कोटपूतली के ख० न० 140/0.98 है० किस्म गै०मु० पहाड़ में से 0.03 है० भूमि पर हनुमान, महेन्द्र पुत्रान लक्ष्मण जाति गुर्जर निवासी शुक्लाबास ने पुख्ता निर्माण कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । सूचना बाद गैर सायलान उपस्थित नहीं आये । अतः गैर सायल के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। हमने पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट , पत्रावली में सलग्न दस्तावेज पर गौर किया तो विवेचन पर पाया कि वाके ग्राम पिचाणी के खसरा नंबर 140/0.98 है० किस्म गै०मु० पहाड़ में से 0.03 है० भूमि पर गैर सायलान का अतिक्रमण सिद्ध होता है । अतः आतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी ।

अतः गैरसायलान हनुमान , महेन्द्र पुत्रान लक्ष्मण जाति गुर्जर निवासी शुक्लाबास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम पिचाणी तहसील कोटपूतली के खसरा नंबर 140/0.98 है० किस्म जमीन गै०मु० पहाड़ में से 0.03 है० भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायलान द्वारा किये गये निर्माण कार्य को ध्वस्त किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 1.20रु. का पचास गुणा 60 रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते , बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को लिखा जावे निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 9.7..2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।


तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)